न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 27/2019 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2019/00054

अनवान

1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता थावर चन्द्र तिरगर, निवासी देवडावास, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, प्र.स. 21/2019 दिनांक 20.11.2019

* निर्णय *

दिनांक– 31-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 20.11.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का झाडोल की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट द्वारा मौजा फलासिया, तहसील झाड़ोल में आराजी संख्या 1117 के रकबा 0.8500 हेक्टेयर में से 880 वर्गफीट पर चार पक्की दुकानों का निर्माण कर रखा है एवं उक्त भूमि अतिक्रमी श्री राजमल पिता जडावचन्द्र से क्रय करना बताया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा अपीलान्ट श्री प्रकाश चन्द्र पिता थावर चन्द्र को राजकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। आराजी संख्या 1117 के मुत्तलिक इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 104/1990 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.1992 द्वारा अतिक्रमी श्री राजमल पिता जडावचन्द महाजन के मामले में प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। उक्त आदेश पर अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण संख्या 1/1993 पुनः दर्ज कर दिनांक 26.07.1994 को आदेश दिया की उक्त भूमि नियमानुसार आबादी की आवंटन करा कब्जा प्राप्त करे। इसी आदेश पर दिनांक 23.12.1997 को उक्त प्रस्तावित भूमि रकबा 0.0300 हेक्टेयर आबादी परिवर्तन करने की स्वीकृती उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा जारी की गयी एवं दिनांक 29.12.1997 को तहसीलदार झाडोल को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया। इस प्रकार उक्त भूमि पंचायत की आबादी की हो जाने के उपरान्त श्री जडावचन्द द्वारा श्रीमती शान्ता बाई पत्नि थावरचन्द्र को दिनांक 05.12.2013 को विक्रय कर दी। इसके उपरान्त उक्त भूमि का अपीलान्ट का निर्बाध कब्जा चला आ रहा है एवं अपीलान्ट द्वारा

निर्माण किया जाकर विद्युत कनेक्शन ले रखा है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जा नही किया है। पटवारी हल्का द्वारा आराजी संख्या 1117 की अनुमानित नपती कर अपीलान्ट के क्रयशुदा भूमि को नाले की माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2019 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 21/2019 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं अपीलान्ट द्वारा आबादी भूमि का क्रय करना, पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा भूमि का आबादी रूपान्तरण करना अपीलान्ट का विद्युत कनेक्शन होना, तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अनुपालना न करना आदि आधारो पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने की मांग की।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि समस्त ग्राम वासियान फलासिया, तहसील झाडोल द्वारा ग्राम फलासिया में नाला भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को शिकायत की गयी। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र क्रमांक 4090 दिनांक 10.07.2019 में उक्त जांच हेतु मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया। प्रकरण राजस्व विभाग से सम्बन्धित होने के कारण पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी झाडोल को पृष्ठांकित की गयी एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार प्रकरण की जांच पटवारी हल्का फलासिया से कराये जाने पर उनके द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2019 में राजस्व ग्राम फलासिया की बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी संख्या 1117 रकबा 0.8500 हेक्टेयर किस्म नाला भूमि में 880 वर्गफीट भूमि पर श्री प्रकाशचन्द्र पिता थावरचन्द तिरगर, निवासी देवडावास द्वारा अतिक्रमण कर चार पक्की दुकाने निर्माण किया जाना एवं श्री राजमल पिता जडावचन्द से क्रय करना बताया। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत सुनवाई उपरान्त नियमानुसार अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित भूमि की किस्म नाला है, जिसका रूपान्तरण नही किया जा सकता है। विपक्षी के पूर्वाधिकारी के पक्ष में जारी किये गये पट्टो पर आराजी संख्या उल्लेखित नही होने से उक्त पट्टे इसी आराजीयात के हो, स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिनुकुल होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं उनमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से अध्ययन किया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम फलासिया, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 1117 रकबा 0.8500 हेक्टेयर किस्म नाला में से 880 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 104/1990 में निर्णय दिनांक 26.12.1992 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करना, अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी की भूमि का आबादी होना, अपीलान्ट द्वारा भूमि क्रय किया जाना आदि आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने की मांग की है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के पक्ष में जारी पट्टे पर आराजी संख्या का उल्लेख न होने से उक्त पट्टा आराजी संख्या 1117 का होना नही माना जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त पट्टे के आधार पर विद्युत कनेक्शन लिये जाने का उल्लेख किया है, किन्तु विद्युत बिल पर भी आराजी संख्या अंकित न होने से विद्युत बिल को आराजी संख्या 1117 के सम्बन्ध में प्रमाणित नही माना जा सकता है। मामले में यह भी स्पष्ट है कि भूमि की किस्म नाला हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को नाला भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2019 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाडोल को निर्देश प्रदान किये जाते है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि ऐसी भूमियों पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.02.03 13:44:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: